

36
99

उत्तराखण्ड शासन,
आवास अनुभाग-2

संख्या-855/v-2/आ0-53(आ0)/2014.
देहरादून दिनांक: 16 जुलाई, 2014

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अन्तर्गत शासन की अधिसूचना संख्या-731/V-2/53(आ0)/2014 दिनांक 06-6-2014 द्वारा उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है, जिसमें कार्मिक विभाग के आदेश सं0-1048/XXX-1-2014 दिनांक 10-7-2014 द्वारा मुख्य प्रशासक के पद पर सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन तथा अपर मुख्य प्रशासक के पद पर अपर सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को नियुक्त किया गया। उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग तथा विकास (संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा 5(क)(1) में उल्लिखित शक्ति का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में मुख्य प्रशासक के पद पर सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन एवं अपर मुख्य प्रशासक के पद पर अपर सचिव, आवास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को नियुक्त किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैं :-

(डी0एस0 मर्ब्याल)
सचिव।

संख्या-855 /v/आ0-2014-तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 2- प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
- 4- मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 5- अपर मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण, देहरादून।
- 6- उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण, देहरादून/हरिद्वार/टिहरी।
- 7- सचिव, विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, दूनघाटी/नैनीताल/गंगोत्री।
- 8- प्रतिलिपि अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को असाधारण गजट में विधायी परिशिष्ट भाग-4 के सम्बन्धित खण्ड में प्रकाशित करने का कष्ट करें तथा 100 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 9- कार्मिक अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन।
- 10- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(डॉ0 शैलेश कुमार पन्त)
उप सचिव।